झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 27 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री सुमर ओड़ेया एवं अन्य,
प्र०-अड़की, जिला-खूँटी।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, खूँटी।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–27/2023

शिकायतकर्ता श्री सुम्बर ओड़ेया एवं अन्य, प्रखण्ड–अड़की, जिला–खूंटी का अपील आवेदन वाट्सएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन–पत्र में शिकायतकर्ताओं द्वारा राशन डीलर, श्री महेन्द्र ओड़ेया के विरूद्ध माह सितम्बर, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् मिलने वाला राशन नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। यह भी कि इस सम्बन्ध में लाभुकों द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूंटी एवं डीलर से पूछने पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा है। किन्तु उनकी शिकायत का निवारण अब तक नहीं हुआ है।

प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूंटी को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–30.05.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-05-2023 08/06/23	**वाद सं0–27 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री सुम्बर ओड़ेया, प्र0–अड़की, जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी का कहना है कि संबंधित पंचायत के लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से उन्हें यह जानकारी दी है कि उन्हें अक्टूबर से दिसम्बर माह तक का अनाज नहीं दिया जा सका है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निर्देश दिया है कि शिकायकर्ता श्री सुम्बर ओड़ेया को माह सितम्बर से दिसम्बर के बीच का PMGKAY का अनाज यदि उपलब्ध करा दिया गया है तो उसका प्रमाण आयोग को भेजा जाय। और यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो उपलब्ध करा दिया जाय। ~~आयोग के आदेश के अनुपालन पर सुनवाई 15.06.2023 को निर्धारित की जाती है।~~ मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–27 / 2023

15.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री सुम्बर ओड़ेया एवं अन्य, प्रखण्ड–अड़की, जिला–खूँटी उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, खूँटी, उपस्थित। आज की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मौखिक तौर पर और आयोग को भेजे गये प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि शिकायतकर्त्ता और डीलर के बीच लिखित सुलहनामा हो गया है। जिसमें शिकायतकर्त्ता का भी हस्ताक्षर है। उसमें यह कहा गया है कि अगस्त तक बकाया अनाज शिकायतकर्त्ता को उपलब्ध करा दिया जायेगा। आयोग ने इस जानकारी पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से यह जानना चाहा कि क्या सुलहनामे के आधार पर डीलर को मनमानी या अवैधानिक कार्य करने की छूट दी जा सकती है? जिला आपूर्ति पदाधिकरी ने भी यह माना की ये सुलहनामा वैधानिक नहीं है।

आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से शिकायतकर्त्ता को मुआवजा सहित जो अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, वह अनाज उपलब्ध कराया जाय। इस टिप्पणी के साथ आयोग वाद को निष्पादित किया जाता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

19.6.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

19/6/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267